

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक: -

दिनांक: -

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के पत्रांक प.18(13)नविवि/जयपुर/2016 दिनांक 18.10.2017 के द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 338, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 75, राज्य सरकार द्वारा एकीकृत भवन विनियम-2017 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। अतः राज्य सरकार से प्राप्त पत्र के क्रम में एकीकृत भवन विनियम-2017 तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।


सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांक: - 1205/-71/17

दिनांक: - 14-11-17

प्रतिलिपि :-

01. अध्यक्ष महोदय नगर विकास न्यास, अलवर।
02. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
03. विशेषाधिकारी (भूमि) नगर विकास न्यास, अलवर।
04. भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर।
05. आयुक्त नगर परिषद अलवर।
06. अधिक्षण अभियन्ता नगर विकास न्यास, अलवर।
07. प्रभारी अधिकारी आवंटन नगर विकास न्यास, अलवर।
08. प्रभारी अधिकारी नियमन नगर विकास न्यास, अलवर।
09. प्रभारी अधिकारी आयोजना नगर विकास न्यास, अलवर।
10. अधिशाषी अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगर विकास न्यास, अलवर।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर।
12. लेखाधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर।
13. आवंटन शाखा, नियम शाखा, भूमि अवाप्ति शाखा, विधि शाखा, आयोजना शाखा नगर विकास न्यास, अलवर।
14. निजी सचिव नगर विकास न्यास, अलवर।
15. रक्षित पत्रावली।


सचिव

नगर विकास न्यास, अलवर